3. विनिश्चियन/निर्णय किए जाने के प्रक्रम एवं प्रक्रिया तथा पर्यवेक्षण संबंधी जबाबदेही–

संचालनालय हेतु दो मुख्य नगर नियोजक (अपर संचालक) के पद सृजित है, जो कि विभिन्न शाखाओं के प्रभारी होते है। परन्तु पदोन्नति/आरक्षण पद्वति पर रोक के कारण दोनो पद रिक्त है। उनके स्थान पर वरिष्ठ नगर नियोजक (संयुक्त संचालक) अपनी अधीनस्थ शाखाओं के पर्यवेक्षण हेतु जबाबदेह हैं ।

निर्णय लेने की प्रक्रिया –

संबंधित शाखा के सहायक द्वारा प्रकरण म.प्र. शासन के कार्यालय मैन्युअल के अनुरूप कार्यवाही प्रारंभ कर उसे अपने से वरिष्ठ अधिकारी, सहायक नगर नियोजक/नगर नियोजक को प्रस्तुत करता है। उस पर टीप अंकित होकर प्रकरण वरिष्ठ नगर नियोजक को अग्रेषित हो जाता है जहाँ वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा अभिमत देने के उपरांत आयुक्त सह संचालक द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाता है। संबंधित /वरिष्ठ नगर नियोजक अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों एवं कार्यालयीन विषयों पर कार्यवाही एवं निराकरण हेतु जिम्मेदार हैं ।

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश के म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत दायित्व –

1. संचालनालय का दायित्व एवं कार्यप्रणाली उपरोक्तानुसार बिन्दु 2 में उल्लेखित है।
2. जिला कार्यालय की प्रक्रिया एवं दायित्व :–

संचालनालय एवं स्थानीय शासकीय विभागों को आवश्यक जानकारी एवं समन्वय एवं सहयोग बनाए रखना ।

– अधिनियम की धारा 16, 27, 28 एवं 29 के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण ।
– आवेदन का रजिस्ट्रीकरण
– अभिलेखों की जाँच
– स्थल निरीक्षण
– अनुज्ञा स्वीकृत/अस्वीकृत करना ।